2024/198

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :- कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 22/2024 (राजसमन्द आर्डर)

शंकरलाल पिता बालकिशन कुमावत, निवासी एमडी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. किशनलाल पिता पन्नालाल कुमावत, निवासी एमडी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. सोहनी पत्नी पन्नालाल कुमावत, निवासी एमडी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम-1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द
दिनांक 31.05.2024, प्र.सं. 40/2022

---/---

उपस्थित :- 1- श्री शैलेन्द्र सिंह अभिभाषक अपीलान्ट
2- श्री शेषमल गाडरी अभिभाषक रे.सं.1, 2

---::---

निर्णय **दिनांक 12-12-2024**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम एमडी में आराजी नंबर 1149 स्थित है, जो प्रार्थी के खातेदारी की है। विपक्षीगण की आराजी नंबर 1150 में नया रास्ता सृजन करने का आशय रखते हैं, इस भूमि में से होकर राजसमन्द से आने वाली सिंचाई की नहर का धोरा भी प्रार्थी की आराजी नंबर 1149 में सिंचाई हेतु जाता है। यही से होकर प्रार्थी एवं उसके पूर्वाधिकारी फसल की बुवाई के समय हल, बैल आदि लाते ले जाते हैं, किन्तु विपक्षीगण ने बाउण्ड्रीवाल बनाकर रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है, जबकि प्रार्थी के पास आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः विपक्षीगण की आराजी नंबर 1150 के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर 30 फिट चौड़ा रास्ता दिलाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.19 12:52:37 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को आराजी नंबर 1150 से नया रास्ता सृजित करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी अपने पूर्वाधिकारी के समय से ही आराजी नंबर 1151 की पश्चिमी पाल पर बने दक्षिण से उत्तर के रास्ते का उपयोग करता चला आ रहा है। वर्तमान में आराजी नंबर 1151 विभाजित होकर आराजी नंबर 1151/3 स्वयं प्रार्थी के खाते की भूमि है, जिसके पश्चिम दिशा में सटमा प्रार्थी की खरीद शुदा आराजी नंबर 1149 स्थित है। यही नहीं प्रार्थी की भूमि आराजी नंबर 1149 के पीछे स्थित आराजी संख्या 1148 में भी उत्तर से दक्षिण रास्ता स्थित है, जिससे प्रार्थी आ जा सकता है। मौके पर दो वैकल्पिक रास्ते उपलब्ध होते हुए भी प्रार्थी विपक्षीगण की आराजी में नया रास्ता कायम करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्ष की बहस सुनकर मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित करते हुए दिनांक 31—05—2024 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील दिनांक 02—08—2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री शेषमल गाडरी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रतिलिपि हेतु आवेदन दिनांक 04—07—2024 को प्रस्तुत किया गया, जिसकी नकल दिनांक 11—07—2024 को प्राप्त हुई। प्रतिलिपिइ प्राप्त होने की 7 दिवस की गणना का अपवर्जन करते हुए अपील 60 दिवस में अन्दर अवधि प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपील प्रस्तुत करने में अल्प विलम्ब हुआ है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.19 12:52:37 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि आराजी नंबर 1149 एवं 1150 अपीलान्टगण के विक्रेता के पूर्वजों के नाम एवं रेस्पोन्डेन्ट के पूर्वजों के समय से खातेदारी एवं संयुक्त आधिपत्य में स्थित थी एवं आपसी सुविधा अनुसार आराजी नंबर 1149 पर अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी काबिज चले आ रहे हैं एवं आराजी नंबर 1150 पर रेस्पोन्डेन्ट के पूर्वज काबिज चले आ रहे हैं, लेकिन राजस्व नक्शे में आराजी नंबर 1150 पर कोई रास्ता दर्शित नहीं किया हुआ है, जिससे रेस्पोन्डेन्टगण के मन में बदनियति उत्पन्न होने से पक्की दीवार बना रास्ते को बन्द कर दिया। मौका पर्चा तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है। अपीलान्ट द्वारा आराजी नंबर 1150 में से रास्ता मांगा गया है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी नंबर 1151/1 व 1151/2 से रास्ता दिया है। सिंचाई विभाग के अनुसार आराजी नंबर 1150 में ही रास्ता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में चाहा गया रास्ता दिलाया जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर 2023 0 Supreme (Raj) 403, 2023 0 Supreme (Raj) 164 प्रस्तुत की।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि मौके पर आराजी नंबर 1151/1 व 1151/2 में रास्ता मौजूद है, जिससे सटमा अपीलान्ट की आराजी नंबर 1151/3 स्थित है तथा इसी से सटी हुई आराजी नंबर 1149 है। ऐसी स्थिति में जब पूर्व से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है तो नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। स्वयं अपीलान्ट ने उक्त रास्ते को अपनी अपील मीमों के बिन्दु संख्या 3 में स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार राजसमन्द द्वारा उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द के यहां मौका रिपोर्ट जो दिनांक 03–10–2023 को प्रस्तुत की गयी है, उक्त रिपोर्ट के अनुसार विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट की आराजी नंबर 1150 के चारों ओर पक्की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.19 12:52:37 IST
Reason: SelfAttested

बाउण्ड्रीवाल बनी होकर वर्तमान में प्रार्थी/अपीलान्ट की आराजी नंबर 1149 पर जाने हेतु कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी आराजी नंबर 1151/1, 1151/2 से होते हुए अपनी सहखातेदारी की आराजी नंबर 1151/3 में जाता है, जो प्रार्थी की खातेदारी की आराजी नंबर 1149 से लगा हुआ है। प्रार्थी खाते की आराजी नंबर 1149 इसी रास्ते से लगी हुई। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर पूर्व से वैकल्पिक रास्ता होने के आधार पर अपीलान्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। स्वयं अपीलान्ट ने अपील मीमों के बिन्दु संख्या 3 ने अंकित किया है कि अपीलान्ट आराजी नंबर 1151/1, 1152/2 में पश्चिमी पाली के सहारे स्थिति रास्ते के अनुसार 1151/3 के उपरोक्त वर्णित रास्ते से उपयोग कर रहा है ठीक इसी प्रकार अपीलान्ट के विक्रेतागण भी पश्चिमी पाली के सहारे रास्ते के रूप में उपयोग करते चले आ रहे थे। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि अपीलान्ट की खाते की आराजी नंबर 1149 में जाने हेतु पूर्व से वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। धारा 251—क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता होने पर ही रास्ता दिये जाने का प्रावधान है, जिसके तहत प्रार्थी की आवश्यकता को देखा जाता है, न कि उसकी सुविधा को। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं। इस संबंध में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी है, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने के कारण चस्पा नहीं होते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31—05—2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 12—12—2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2024.12.19 12:52:37 IST
Reason: SelfAttested